"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2016— भाद्रपद 30, शक 1938

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक 8514/61/2015/38-2.— चूंकि नीचे दिये गये कारणों से, अर्थात् :—

(1) यतः बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यकलापों में कुप्रशासन तथा अव्यवस्था;

(2) विश्वविद्यालय में आंतरिक विवाद एवं समन्वय के अभाव के कारण स्वस्थ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण का अभाव; और

(3) जनसाधारण एवं छात्रों के मन में विश्वविद्यालय के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट :

और यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है जिसमें बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का प्रशासन उक्त विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि वैसा करना उक्त विश्वविद्यालय के हितों के समीचीन है :

अतएव, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देशित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 23 से 25 तक, 40, 47, 48, 54 तथा 68 के प्रावधान, तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त विश्वविद्यालय पर तत्काल लागू होंगे।

No. 8514/61/2015/38-2.— Whereas, due to the reasons mentioned below, namely :-

(1) maladministration and disorder in the conduct of the affairs of Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur;

(2) absence of healthy academic and administrative atmosphere in the University on account of internal disputes and lack of coordination; and

(3) deterioration in the credibility of the University in the eyes of public and students:

And Whereas, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur cannot be carried out in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) without detriment to the interest of the said Vishwavidyalaya and it is expedient in the interest of the Vishwavidyalaya so to do:

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby directs that the provisions of Section 13, 14, 23 to 25, 40, 47, 48, 54 and 68 of the said Act shall, subject to the modifications specified in the Third Schedule, apply from the date of publication of this notification with immediate effect to the said Vishwavidyalaya.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समरेन्द्र सिंह, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.